



उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग-1
संख्या-72/2026/1/1407170/2026/88-101(099)/08/2022
लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2026

कार्यालय-आदेश

तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित औषधि निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपद के औषधि निरीक्षक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार, बिना किसी अतिरिक्त वेतन-भत्ते के अग्रेतर आदेशों तक के लिए प्रदान किया जाता है:-

क्र.	औषधि निरीक्षक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	अतिरिक्त प्रभार का जनपद
1	2	3	4
1.	श्री मुकेश कुमार	बस्ती	संत कबीर नगर
2.	श्रीमती उर्मिला वर्मा	बरेली मण्डल	पीलीभीत
3.	श्रीमती रेखा सचान	जालौन	हमीरपुर
4.	श्री राहुल कुमार	झांसी	महोबा
5.	श्री आलोक कुमार त्रिवेदी	अयोध्या	अम्बेडकर नगर
6.	श्री नवीन कुमार	महाराजगंज	कुशीनगर
7.	श्री राजेश कुमार मौर्य	सोनभद्र	मिर्जापुर
8.	श्री चन्द्रेश कुमार द्विवेदी	वाराणसी	चंदौली
9.	श्री रजत कुमार	जौनपुर सम्बद्ध आगरा (आयुक्त कार्यालय के आदेश सं0-2561 दिनांक 11.07.2026 द्वारा इनको कार्यहित में आगरा से सम्बद्ध किया गया है।)	गाजीपुर

2- उक्त औषधि निरीक्षकगण जनसामान्य के लिए स्पष्ट रूप से यह इंगित करेंगे कि वे अतिरिक्त प्रभार के जनपद में किस-किस दिन उपस्थिति रहेंगे / रहेंगी, इसकी सूचना संबंधित जनपद तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ को अपने स्तर से देंगे/देगी। उक्त औषधि निरीक्षकों की उपस्थिति उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ० रोशन जैकब
सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या 72/1/1407170/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 2- जिलाधिकारी, बस्ती, संत कबीर नगर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आगरा एवं गाजीपुर।
- 3- सहायक आयुक्त (औषधि), बस्ती, बरेली, झांसी, चित्रकूट धाम बांदा, अयोध्या, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी एवं आगरा मण्डल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती, संत कबीर नगर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आगरा एवं गाजीपुर।
- 5- सम्बन्धित औषधि निरीक्षकगण।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रेखा एस0 चौहान
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।